न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 151/11
(जीसीएमएस संख्या 2011/00021)

निर्णय दिनांकः- 6-4-2022

1. धन्नाराम पुत्र श्री अमराराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरलाल
3. देवाराम
4. ओमप्रकाश
5. मंगतुराम उर्फ लालचन्द
6. श्रीमती रामप्यारी बेवा अमरूराम

पुत्रगण श्री अमरूराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, भीनासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. जस्सूराम पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर। (मृतक)

1/1. गवरा देवी पत्नी जसूराम
1/2. श्रवण पुत्र जसूराम
1/3. सुन्दरलाल पुत्र जसूराम
1/4. श्रीराम पुत्र जसूराम
1/5. सत्यनारायण पुत्र जसूराम
1/6. अशोक कुमार पुत्र जसूराम
1/7. उतम चन्द पुत्र जसूराम
1/8. श्रीमती सुशीला पुत्री जसूराम
1/9. श्रीमती सोना पुत्री जसूराम

जाति माली निवासीगण मालासर मंदिर वाली गली, किसमीदेसर भीनासर जिला बीकानेर।

2. प्रभूराम पुत्र श्री रूपाराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर(मृतक)

2/1. राधा देवी पत्नी प्रभूराम
2/2. आसुराम पुत्र प्रभूराम (मृतक)
2/2/1. सरस्वतीदेवी उर्फ लक्ष्मी पत्नी स्व. आसुराम
2/2/2. अमित कुमार गोद पुत्र आसुराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2/3. विमला पुत्री प्रभूराम 2/4. उषा पुत्री प्रभूराम 2/5. दुर्गा पुत्री प्रभूराम	जाति माली निवासी मालासर मंदिर वाली गली, किसमीदेसर, भीनासर जिला बीकानेर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16–01–2002
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री हरीश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री लक्ष्मीकान्त रंगा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–01–2002 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम किसमीदेसर के खेत खसरा नम्बर 697/157 तादादी 10.2 बीघा व खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 2 बिस्वा कुल तादादी 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी/प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की व कब्जे काश्त की भूमि है। दोनो पक्षों के पूर्वज रूपाराम वल्द चूनाराम उक्त भूमि के गैर खातेदार काश्तकार थे तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 281 दिनांक 20–12–1076 उनके पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया गया। परन्तु अमराराम की मृथ्यु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के उपरान्त पटवार हल्का द्वारा विरासतन इंतकाल अमराराम के पुत्रों एवं उसकी बेवा व जसूराम के नाम 1/2–1/2 दर्ज करते हुए इंतकाल संख्या 461 में वादी प्रभूमि का नाम अंकन नहीं किया गया जबकि प्रभूराम उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का अधिकार था। प्रभूराम द्वारा उक्त भूमि पर अपने 1/3 हक व हिस्से के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 17–04–2000 को वादी/प्रतिवादगणों के मध्यम राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी करने का निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–04–2000 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 8.07 बीघा का गैर खातेदार जस्सूराम को, खसरा नम्बर 706/251 के मध्य की 8.07 बीघा भूमि का प्रभूराम को गैर खातेदार व खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 8.08 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 697/157 की 10.02 बीघा भूमि कुल 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि का गैर खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, अमरूराम के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त प्राथमिक डिक्री सभी पक्षों के द्वारा राजीनामें के अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा जारी की गई।

उक्त प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि को लेकर अंतिम डिक्री जारी करने की आवश्यकता ही नहीं थी परन्तु अदालत मातहत के समक्ष वादी संख्या 2 प्रभूराम ने दिनांक 10–07–2001 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संशोधित डिक्री जारी कर दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट् की भूमि 0.77 हेक्टर दर्ज करते हुए कम करते हुए पूर्व में प्रस्तुत राजीनामें को अंतिम डिक्री जारी करते हुए कन्सीडर ही नहीं किया गया तथ उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अन्य वारिसान/पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना प्रभूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। जबकि प्रभूराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी पेश करते हुए कथन किया गया था कि संयुक्त रूप से मिलने वाली कृषि भूमि को कम दर्शाते हुए अर्थात खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में प्रार्थीगण अमरूराम के वारिसान को 0.77 हेक्टर भूमि का गैर खातेदार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

धोषित किया गया है तथा साथ ही अन्य दीगर व्यक्ति राधाकिशन पुर भभूताराम जिसकी खाते की भूमि अलग होते हुए भी विभाजन की अंतिम डिक्री में खसरा नम्बर 580 तादादी 0.35 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 627 तादादी 0.48 हेक्अर भूमि राधाकिशन के नाम से बदस्तूर दर्ज करने के आदेश मौके व रिकार्ड के विपरीत जाकर पारित किया जाना स्पष्ट रू‍प से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 16–01–2002 को जारी अंतिम डिक्री एकतरफा तौर पर विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त जब अदालत मातहत के समक्ष जरिये प्रार्थना पत्र यह तथ्य सामने आ चुके थे कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् एक पक्षकार को विभाजन में कम भूमि प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में विभाजन के नये प्रस्ताव हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किये जाने चाहिए थे कि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अदालत मातहत को प्रेषित किये जाने चाहिए थे, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करते हुए पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री के आधार बनाते हुए अंतिम डिक्री जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के विरूद्व जाकर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना साबित है। विभाजन के मामलों में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहद पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कितहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रकार अदालत मातहत का उक्त कृत्य माननीय राजस्व मण्डल की मंशा के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है क्योंकि विभाजन के मामलें में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों के धारण की भूमि व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हो सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत विभाजन के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं की तरफ करवाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन के प्राथमिक प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादी की आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी/गौर किये बिना एकतरफा तौर पर उक्त आपत्ति को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जब अदालत मातहत के समक्ष विभाजन के संबंध में यह तथ्य प्रस्तुत हो चुके थे कि पूर्व में राजीनामें के आधार पर जारी प्राथमिक डिक्री से एक पक्षकार सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाना चाहिए था कि वे स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करवाने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी डिक्री किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। वादग्रस्त भूमि के बाबत् सभी पक्षकारों के मध्य दिनांक 26–04–2000 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई थी। उसके उपरान्त वादी संख्या 2 प्रभूराम ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करतू हुए अपीलांट की भूमि कम करते हुए अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई तथा ही अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर ही प्रदान किये बिना दिनांक 16–01–2002 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट् को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–06–2009 को राजस्व रिकार्ड की नकल आदि निकलवाने पर प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट् ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत नहीं की गई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाये जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के वाके ग्राम किसमीदेसर के खेत खसरा नम्बर 697/157 तादादी 10.2 बीघा व खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 2 बिस्वा कुल तादादी 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित होने से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन हेतु अदालत मातहत के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत दिनांक 17–04–2000 को पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 26–04–2000 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर जारी की गई। उक्त राजीनामें में अभिलिखित अनुसार खेत खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 8.07 बीघा भूमि प्रथम पक्ष, खेत खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 02 बिस्वा में से 8.07 बीघा द्वितीय पक्ष तथा खेत खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 8.08 बीघा भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 687/157 की 10.02 बीघा भूमि तृतीय पक्ष के नाम रहेगी। उक्त राजीनामा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमि डिक्री जारी करते हुए राजीनामें के अनुसरण में यह अभिलिखित किया गया कि यह दावा पक्षकारन के मध्य हुए राजीनामें के मुताबिक स्वीकृत किये जाने योग्य है अतः दावा वादीगण राजीनामा के अनुसार स्वीकृत किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 8.07 बीघा उत्तर की भूमि जस्सूराम के नाम से, खसरा नम्बर 706/251 के मध्य की 8.07 बीघा भूमि का प्रभूराम के नाम से व

खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से शेष 8.08 बीघा दक्षिण की तरफ की भूमि व खसरा नम्बर 697/157 की 10.02 बीघा भूमि कुल 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरलाल, देवाराम, धनाराम, ओमप्रकाश, मंगतूराम उर्फ लालचन्द पिसरान अमरूराम व श्रीमती रामप्यारी बेवा अमरूराम के नाम रखते हुए संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किये जाने पर वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त, धारण की भूमि व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्ताव पर वादी प्रभूराम द्वारा दिनांक 10–07–2001 को प्रभूराम पुत्र रूपाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पत्र क्रमांक 126 दिनांक 06–01–2001 के माध्यम से प्रषित प्रस्ताव में पुराने खसरा नम्बर का अंकन है, जबकि भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर कायम हो चुके है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते को अलग करते हुए अन्य खातेदार राधाकिसन पुत्र भभूताराम की 0.83 हेक्टर भूमि को अलग करने का कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण डिक्री की पालना नहीं हो रही है, उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में विभाजन की अंतिम डिक्री इस आधार पर जारी की गई कि ग्राम किसमीदेसर के खेत खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में से उत्तरी हिस्से की 1.26 हेक्टर भूमि वादी संख्या 1 जसूराम की गैर खातेदारी, खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में से 1.26 हेक्टर भूमि प्रभूराम व खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में से शेष 0.77 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 580 तादादी 1.95 हेक्टर भूमि कुल 2.72 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6, अर्थात अमरूराम के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करते हुए खसरा नम्बर 580 की 0.35 हेक्टर व खसरा नम्बर 627 की 0.48 हेक्टर भूमि अन्य खातेदार राधाकिसन पुत्र भभूताराम के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट् अदालत मातहत के उक्त आदेश से किस प्रकार व्यथित है, साबित करने में असफल रहे है, क्योंकि अपीलांट् जोकि अमरूराम के वारिसान है, को पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री में प्राप्त भूमि के अनुसार ही अंतिम डिक्री में भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

प्रदान की गई है। प्रकरण में जब पक्षकारों के मध्य पूर्व में राजीनामा के अनुसरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई थी तो ऐसी स्थिति में उक्त डिक्री की अपील के प्रावधान कानून में निहित नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के धारण एवं कब्जे काश्त की भूमि का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं? अर्थात वादाधीन भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में अदालत मातहत के के समक्ष सभी पक्षकारों के उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि के विभाजन को जोकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा उसी राजीनामें के अनुसरण में प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में अंतिम डिक्री नये खसरा नम्बर के आधार पर जारी की गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राजीनामें के अनुरूप पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधान को भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल करते हुए सभी सहखातेदारों को रास्ता उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र संशोधन बाबत् व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत अंतिम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिक्री दिनांक 26–01–2002 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26–04–2000 को संशोधित करवाने व खाता संख्या 580 में से राधाकिसन का नाम व खाता अलग करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अपीलांट् का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने करीब 10 वर्ष के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि के बाबत् की जा रही तमाम कार्यवाहियों की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट् द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पर में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे समस्त कारण वेग है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावुगुण पर खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट iii पेज 2168 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 29–12–2011 को प्रस्तुत की गई है। जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होने के कारीब 10 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–06–2009 को होना अंकित करते हुए उक्त निर्णय को रिव्यू करने का निवेदन किये जाने पर दिनांक 28–11–2011 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने पर जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया कि अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी तथा अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से प्रस्तुत की गई है व अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह वेग कारण है। अतः अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में हमाने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–04–2000 को वादग्रस्त भूमि को लेकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई व कालान्तर में दिनांक 16–01–2002 को सह खातेदार प्रभूराम के प्रार्थना पत्र पर अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त अंतिम डिक्री अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री जोकि पुराने खसरा नम्बर से जारी की गई थी, भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर स्थापित होने के कारण अंतिम डिक्री सह खातेदार प्रभूराम के प्रार्थना पत्र पर नये खसरा नम्बर के आधार पर जारी की गई। उक्त डिक्री में संशोधन किये जाने बाबत् अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 151, 152 सीपीसी व धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वार खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना साबित होता है। अतः अपीलांट् की अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के कारण संतोषजकर व पर्याप्त पाये जाने पर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियांद शुमार किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के वाके ग्राम किसमीदेसर के खेत खसरा नम्बर 697/157 तादादी 10.2 बीघा व खसरा नम्बर 706/251 तादादी 25 बीघा 2 बिस्वा कुल तादादी 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी/प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की व कब्जे काश्त की भूमि होने पर सह खातेदारों द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा वादपत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दर्ज रजिस्टर करते हुए सभी पक्षकारों के उपस्थित आने पर दिनांक 17–04–2000 को प्रतिवादी देवाराम की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा तस्दीक किया जावे व राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी की जावे। उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र इस प्रकार हुआ कि 1.जस्सूराम पुत्र रूपाराम जिसे आगे प्रथम पक्ष लिखा गया है 2. प्रभूराम पुत्र रूपाराम जिसे आगे द्वितीय पक्ष लिखा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 क्रमशः भंवरलाल, देवाराम, धनाराम, ओमप्रकार, मंगतुराम उर्फ लालचन्द पुत्रगण अमरूराम व प्रतिवादी संख्या 6 रामप्यारी बेवा अमरूराम जिसे आगे तृतीय पक्ष लिया गया है, के मध्य लोक अदालत की प्रेरणा से व गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से निम्न प्रकार राजीनामा हो गया है कि:–खेत खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से उत्तर की 8.07 हेक्टर भूमि प्रथम पक्ष, खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से मध्य की 8.07 बीघा भूमि द्वितीय पक्ष तथा खसरा नम्बर 706/251 की 25 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 16.14 बीघा के अलावा उत्तर की तरफ की 8.08 बीघा भूमि तृतीय पक्ष के कब्जे काश्त में रहेगी तथा खेत खसरा नम्बर 687/157 की 10.02 बीघा भूमि तृतीय पक्ष के पास कब्जे काश्त में रहेगी। अदालत मातहत द्वारा उक्त राजीनामें के अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में दावा डिक्री करते हुए दिनांक 26–04–2000 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रभूराम वादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि चूंकि प्राथमिक डिक्री पुराने खसरा नम्बर से जारी की गई है तथा वर्तमान में दौराने भू–प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 706/251 के नये खसरा 613 व खसरा नम्बर 697/157 के नये खसरा नम्बर 580 स्थापित हो चुके है, अतः नये खसरा नम्बर के आधार पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी करावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा नकल पर्चा खतौनी, मिलान क्षेत्रफल व खसरा पत्र के आधार पर यह पाये जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुराने खसरा नम्बर 251 मीन से ही नये खसरा नम्बर 580 व 613 बने है तथा पर्चा खतौनी संख्या 215 के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मुताबिक खसरा नम्बर 580 की 2.30 हेक्टर व खसरा नम्बर 613 की 3.29 हेक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 जसूराम को नवीन खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर में से 1.26 हेक्टर भूमि, वादी संख्या 2 प्रभूराम को खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में से 1.26 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 613 तादादी 3.29 हेक्टर भूमि में से शेष 0.77 हेक्टर व खसरा नम्बर 580 की 1.95 हेक्टर कुल 2.72 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 भंवरलाल, देवाराम, धनाराम, ओमप्रकाश, मंगतूराम पिसरान अमरूराम व रामप्यारी बेवा अमरूराम के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा खेत खसरा नम्बर 613 की 3.29 हेक्टर की सम्पूर्ण भूमि व खेत खसरा नम्बर 580 की 2.30 हेक्टर भूमि में से 1095 हेक्टर भूमि का विभाजन वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए खसरा नम्बर 580 की शेष 0.35 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 627 की 0.48 हेक्टर भूमि कुल 0.83 हेक्टर भूमि राधाकिसन पुत्र भभुताराम के नाम बदस्तूर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि राधाकिसन पुत्र भभुताराम वादीगण/प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा वादीगण ने राधाकिसन खातेदार की भूमि में से कोई बंटवारा नहीं चाहा गया है क्योंकि वह उनके साथ संयुक्त खातेदार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि को लेकर वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक–हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारो का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे

के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–01–2002 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 6|4|22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

6|4|22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर